

पत्रांक : सम्बद्धता/2025/05/6708

दिनांक : 24/05/2024.

अनुस्मारक-पत्र-प्रथम

सेवामें,

1. प्राचार्य, पं० भृगुनाथ चतुर्वेदी कालेज ऑफ लॉ, बड़हलगंज, गोरखपुर।
2. प्राचार्य, प्रभा देवी भगवती प्रसाद विधि महाविद्यालय, अनन्तपुर हरपुर बुदहट, सहजनवां, गोरखपुर।
3. प्राचार्य, सेन्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर।
4. प्राचार्य, आई0टी0एम0 कालेज ऑफ लॉ, गीडा, गोरखपुर।
5. प्राचार्य, बुद्धा लॉ कालेज, गीडा, गोरखपुर।
6. प्राचार्य, पं० हरिसहाय लॉ कालेज, तालकंदला, गोरखपुर।
7. प्राचार्य, जेड0आई0 कालेज ऑफ लॉ, बैलो पिपराइच रोड, भटहट, गोरखपुर।
8. प्राचार्य, सन्त विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया।

विषय- संदर्भित महाविद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्गत बार काउन्सिल की मान्यता की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत बी0ए0-एलएल0बी0 (पंचवर्षीय) एवं एलएल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम, शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत मान्यता पत्र की प्रति महाविद्यालय में छात्रों के नवीन प्रवेश से पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

सूच्य है कि बार काउन्सिल की मान्यता की प्रति उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/2025/04/6546 दिनांक 09.04.2024 द्वारा सूचना प्रेषित की गयी थी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय में नवीन छात्रों का प्रवेश लेने से पूर्व "बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 के मान्यता पत्र की प्रति" अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 में नवीन प्रवेश (नामांकन) प्रतिबंधित रहेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभारी, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. परीक्षा नियन्त्रक, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
3. प्रभारी सचिव कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वैय0 सहायक कुलसचिव।

उप-कुलसचिव